गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.06.2019 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.06.2019 को दोपहर 12:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई, बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदया की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो0 अंजिला गुप्ता	अध्यक्ष
2.	प्रो0 ए.के. सक्सेना	सचिव
3.	प्रो0 व्ही.डी. रंगारी	सदस्य
4.	प्रो0 जी.के. पात्रा	सदस्य
5.	प्रो0 व्ही.एस. राठौर	सदस्य
6.	प्रो0 मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
7.	प्रो0 मनीषा दुबे	सदस्य
8.	प्रो0 बी.एन. तिवारी	सदस्य
9.	प्रो0 पी.के. बाजपेयी	सदस्य
10.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	सदस्य
11.	प्रो0 एल.पी. पटैरिया	सदस्य
12.	प्रो0 एम.के. सिंह	सदस्य
13.	प्रो0 शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :–

01 प्रो0 प्रतिभा जे. मिश्रा

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र. 01 विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 29.05.2019 एवं अति आवश्यक बैठक 31.05.2019 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 29.05.2019 एवं अति आवश्यक बैठक दिनांक 31.05.2019 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गयी।

विषय क्र. 02 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) अधिनियम, 2019 पर विचार करना।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) अधिनियम, 2019 को अंगीकृत किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि उक्त विनियम के परिपालन हेतु अधिष्ठाता छात्रकल्याण नोडल अधिकारी होंगे।

विषय क्र. 03 समाज कार्य विभाग से प्राप्त प्रकाशकों की अध्यतन/द्वितीय सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट में अपलोड करने विषयक।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रकाशकों की सूची प्रसारित करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित अध्ययनशाला के अधिष्ठाता अधिकृत रहेंगे।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रकाशकों की सूची प्रसारित करने हेतु यथोचित प्रस्ताव संबंधित अध्ययनशाला के अधिष्ठाता के माध्यम से आई.क्यू.ए.सी. को जमा करना होगा। आई.क्यू.ए.सी. उक्त के संबंध में शेष आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न करायेगा।

विषय क्र. 04 डॉ0 हरीश कुमार द्वारा प्रस्तुत जवाब पर विचार।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्राप्त शिकायत के बिन्दुओं की जांच करने एवं परीक्षण उपरान्त तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करने हेतु समिति गठित की जाये।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि समिति के सदस्यों के नाम नामित किये जाने हेतु स्थायी समिति की अध्यक्षा समिति की ओर से अधिकृत रहेंगी।

विषय क्र. 05 विश्वविद्यालय के शैक्षणिक पदों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के संवीक्षण एवं अंक निर्धारण के संबंध में निर्देश बावत्।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि स्थायी समिति दिनांक 24.06.2019 को पूर्वान्ह 11:00 बजे पुनः बैठेगी तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन कर एवं अन्य विश्वविद्यालयों से जानकारी एकत्र कर इस विषय पर पुनः चर्चा करेगी।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि अस्थायी नियुक्तियों हेतु आगामी साक्षात्कार को दृष्टिगत रखते हुए अंकों का विवरण निम्नानुसार किया जाय :–

01.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रेगुलेशन 2018 के सारिणी 3ए के अनुसार प्राप्त अंकों का प्रतिशत	– 50 प्रतिशत	-50 Marks (अधिकतम)
02.	डोमेन नॉलेज का प्रतिशत	– 30 प्रतिशत	-30 Marks (अधिकतम)
03.	साक्षात्कार का प्रतिशत	– 20 प्रतिशत	-20 Marks (अधिकतम)
			Total 100 Marks (अधिकतम)

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव **कुलपति/अध्यक्ष**